फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री उदयसिंह वगैरह
किस्म मुकदमा :– 212 R.T.A.

विपक्षी :– श्री भोपालसिंह राजपुत वगैरह
पत्रावली संख्या :– 07/19 (प्रा.पत्र)
जीसीएमएस नम्बर :– 2019/00019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 24.10.2024– पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की सहमति के आधार पर मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस टी.आई. पर सुनी गई। अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा निवेदन किया कि मूल वाद निस्तारण तक उभय पक्षो को मौका रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो उभय पक्ष को कोई आपत्ति नही है। हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों पर मनन् किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण सहखातेदार है। मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चूकि है तथा मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षो को मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाने पर अधिवक्ता पक्षकारान को भी कोई आपत्ति नही होना जाहीर आया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना एवं विपक्षीगण का काउण्टर प्रार्थना आंशिक स्वीकार किये जाकर उभय पक्षो के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का आमली तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 864 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि तथा ग्राम भगवान पुरा पटवार हल्का आमली तहसील आमली की आराजी नम्बर 1181 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 2113/1179 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि, आराजी नम्बर 1179 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। (रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मावली जिला उदयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.07 17:32:28 IST
Reason: SelfAttested